न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
17/2023	धारा 131 LRA	13.03.2023	11.03.2024

जेनब पत्नी मोहम्मद जाति व्यौपारी निवासीनी वार्ड संख्या 21, चूरू हाल निवासीनी यु.ए.ई. –जरिये अपने मुख्यत्यार बाबू सुलेमान पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 21, चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. परियोजना निदेश–सक्षम प्राधिकारी, सड़क परिवन राजमार्ग मंत्रायल भारत–सरकार–पता–क्षेत्रीय कार्यालय 187–188 पिपराली सर्किल विवेक विहार, झुंझुंनू बाईपास सीकर (राज.)

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 LRA

आदेश

जेनब पत्नी मोहम्मद जाति व्यौपारी निवासीनी वार्ड संख्या 21, चूरू हाल निवासीनी यु.ए.ई.–ने जरिये अपने विधिक प्रतिनिधि बाबू सुलेमान पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 21, चूरू (राज.) ने पंजीकृत अधिकार–पत्र जो भारत सरकार के राजदूतावास द्वारा दिनांक 14.12.2022 से पंजीकृत अधिकार प्राप्त अपने अधिकारदाता के निर्देश पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा चूरू के रकबा में अधिकारदाता जेनब पत्नी मोहम्मद जाति व्यौपारी की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2536/2386 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2779/2388 तादादी 0.3667 हैक्टेयर बारानी कुल किता 02 की कुल तादादी 0.6196 हैक्टेयर बारानी अवस्थित है। जिसका उपयोग उपभोग बिना किसी विवाद के निरंतर व निर्बाधित रूप से करती आ रही है तदनुसार ही प्रार्थीनी का कब्जा व काश्त विद्यमान है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2779/2388 तादादी 0.3667 हैक्टेयर जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अवाप्त किये जाने के पश्चात् शेष खातेदारी कृषि भूमि है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चली आ रही है। इस कृषि भूमि [illegible] मानचित्र में प्रार्थीनी की कृषि भूमि के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 02 [illegible], सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत–सरकार की वर्तमान खसरा [illegible] कृषि भूमि खसरा नम्बर 2778/2388 की तादादी 0.2529 हैक्टेयर [illegible] में सेग्रीगेशन कार्य[illegible]रान सहवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested

से दर्ज हो गया। जिसका प्रार्थीनी ने अपने इस कृषि भूमि की मुतलिक जारी मानचित्र व खातेदारी मौका कब्जा से मिलान किया तब उन्हे सेग्रीगेशन कार्य के दौरान सहवन से रही भूल की जानकारी दिनांक 05 दिसम्बर 2022 को हुई, इस पर प्रार्थीनी ने अपनी खातेदारी भूमि के मानचित्र में सेग्रीगेशन में रही भूल को दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमान तहसीलदार चूरू के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.01.2023 को प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने पटवारी हल्का से रिकॉर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2023 को प्राप्त कर ली जिसमें पटवारी हल्का, चूरू के द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित किया है कि "नजरी नक्शा अनुसार खसरा विभाजन की तरमीम भी मौका अनुसार सही दर्ज हुई थी, परन्तु भू–नक्शा को ऑन लाईन करते समय उक्त खसरों की तरमीम जो कि वर्तमान भू–नक्शा में खसरा नम्बर 2779/2388 की जगह खसरा नम्बर 2778/2388 व खसरा नम्ब्र 2778/2388 की जगह 2779/2388 अंकित है जो कि गलत है एवं भूलवश होना प्रतीत होती है नजरी नक्शा के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।"

रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है कि ऑनलाईन मानचित्रों के रिकॉर्ड पर दर्ज करते समय रही भूल है, जिसको शुद्ध की जा सकती है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त रिपोर्ट को प्राप्त किये जाने के पश्चात् मानचित्र में दुरूस्ती किये जाने हेतु स्वयं के क्षेत्राधिकार की परिधि से बाहर होना मानते हुए प्रकरण में मानचित्र योग्य शुद्ध करवाये जाने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने बाबत आदेश प्रार्थीनी द्वारा प्रेषित प्रार्थना–पत्र पर ही कर प्रार्थीनी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण दिनांक 11.01.2023 को कर दिया गया। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीनी की कस्बा चूरू स्थित खसरा नम्बर 2779/2388 तादादी 0.3667 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज मानचित्र में सेग्रिगेशन से मानचित्र में रही भूल को दुरूस्त किया जाते हुए मानचित्र में खसरा नम्बर 2778/2388 के स्थान पर मानचित्र में खसरा नम्बर 2779/2388 के नम्बर को दर्ज किया जावे। कृपा होगी।

प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के प्राप्त होने पर न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 पर जरिये रजि. डाक तामील होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 02 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब नहीं दिये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव किया जाकर कथन किया कि यह सेग्रिगेशन के समय मानचित्र में भूल हुई जिसकी पुष्टि पटवारी रिपोर्ट से हो रही है। इसलिये मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सेग्रिगेशन में हुई मानचित्र में गलती की [illegible] र्यवाही जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध [illegible] एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने [illegible] ता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2778/2388 व 2779/2388 वर्तमान [illegible] नचित्र ग्राम कस्बा चूरू में दर्ज है। जो

सेग्रिगेशन के समय मानचित्र में सहवन से गलत दर्ज होकर मानचित्र में खसरा नम्बर 2779/2388 के स्थान पर 2778/2388 तथा 2778/2388 के स्थान पर 2779/2388 दर्ज हो गये। जिसकी पुष्टि पटवारी रिपोर्ट से होती है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि में से भूमि अवाप्ति का नामान्तरकरण दर्ज करते समय नक्शा में तरमीम सही की गयी थी परन्तु मानचित्र के सेग्रिगेशन के दौरान मानचित्र में भूल से उक्त खसरा नम्बरों का गलत अंकन कर दिया गया। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

उक्तानुसार पटवारी रिपोर्ट अनुसार मानचित्र में खसरा नम्बर का अंकन सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। प्राथीनी अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त सहवन से हुई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर राजस्व नक्शा में सही रूप से खसरों का अंकन करवाना चाहता है। अप्रार्थी तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई है। प्रार्थीनी द्वारा चाहा गया संशोधन केवल मानचित्र में दर्ज खसरा नम्बरों का किया जाना है जमाबन्दी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना है । जिससे सड़क भूमि पर कोई विपरीत प्रभाव परिलक्षित नहीं होता बल्कि उक्त खसरों के मानचित्र में सहवन से भूल को दूरस्त कर दिये जाने पर राजस्व अभिलेख सही रूप से दर्ज हो जायेगा जिससे भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों व पटवारी रिपोर्ट से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम चूरू तहसील चूरू में स्थित वादगत कृषि भूमि के मानचित्र में ख.नं. 2779/2388 के स्थान पर 2778/2388 एवं ख.नं. 2778/2388 के स्थान पर 2779/2388 राजस्व अभिलेख नक्शा में अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख नक्शा में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सक्षम गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:57:23 IST
Reason: SelfAttested